न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00550

1. सत्यनारायण आयु 46 वर्ष आत्मज श्री चतरा जाति मेघवाल ।
2. बरजी बाई आयु 53 वर्ष पुत्री री चतरा जाति मेघवाल ।
3. कन्या बाई आयु 55 पुत्री श्री चतरा जाति मेघवाल ।
4. मनभर बाई आयु 49 वर्ष पुत्री श्री चतरा जाति मेघवाल सभी निवासीगण ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र चौधरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी में कुल 02 किता की रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा आराजी स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज चतरा के नाम गैर खातेदारी में अंकित थी जिसे दिनांक 11.10.2001 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1102 खाते दर्ज किया गया उसके उपरान्त वादीगण के पूर्वज चतरा जी का देहान्त हो गया तथा वादीगण उक्त भूमि पर काश्त कर रह हैं । वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 1841 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा आराजी प्रतिवादी के द्वारा राजकीय सिवायचक कर खाता सरकार रिकॉर्ड में दर्ज की गई और प्रतिवादीगण उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं । वादीगण ने उक्त आराजी का आवंटन निरस्त किये जाने की जानकारी प्राप्त होते ही राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की जिसके बाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर

रखी है वहॉ से स्थगन आदेश होने के उपरान्त भी उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 1841 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया जावे ।

4. सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार जवाबदावा पेश किया गया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.06.2018 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखा था और अपीलान्टगण को सूचित किये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.09.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट कम 1 लगायत 4 के पिता चतरा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1841 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सुवांसा तहसील तालेडा में स्थित है जिस पर वादीगण के पिता अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे । वादग्रस्त आराजी को त्रुटिपूर्ण रूप से सरकारी सिवायचक दर्ज किया गया है । अपीलान्ट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिस पर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा यह कथन करते हुए पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त हैं । आराजी चतरा के गैर खातेदारी में दर्ज थी और नामान्तरकरण संख्या 1102 से खाते में दर्ज की गई और बाद में खसरा नम्बर 1841 की रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा आराजी को त्रुटिपूर्ण रूप से सरकारी सिवायचक दर्ज किया ।

13. पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 के अनुसार खसरा नम्बर 1692 की आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 के अनुसार कुल 02 किता की 07 बीघा 02 बिस्वा आराजी जिसमें खसरा नम्बर 1841 की 05 बीघा 17 बिस्वा और 1652 की 01 बीघा 10 बिस्वा आराजी शामिल है, चतरा वल्द देवलाल के गैर खातेदारी में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 1102 का नोट अंकित है जिसके अनुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सरकार की आरे से जवाबदावा पेश किया गया और उसी दिन गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए वादी की अनुपस्थिति में दावा वादीगण खारिज किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है और लोक अदालत में वादी की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण खारिज किया गया है ।

14. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय

पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा